Northern Railway

Headquarters Office,
Baroda House,
New Delhi – 110001

AMENDMENT SLIP TO GENERAL & SUBSIDIARY RULES

Sub: Amendment Slip No. 03 dated 21\11.2025 to G&SR Rule Book 1983, of Northern Railway.

1) **Delete the existing SR 9.01/1 and substitute as under:**

S.R. 9.01/1:

1. *One of the automatic stop signals between two stations in the automatic block signaling territory in each direction may be made as mid-section Modified Semi-Automatic stop signal.*
2. *The mid-section modified semi-automatic stop signal will be operated by the Station Masters at both ends by operation of a set of fog switch/buttons provided and this signal can be operated as normal automatic stop signal or as semi-automatic stop signal with 'A' marker extinguished. Relevant indications are available to Station Masters of the stations at both ends to indicate whether the signal is in automatic or modified semi-automatic mode.*

2) **Add the following SR as 3.78/4 under GR 3.78:**

SR. 3.78/4: *While approaching or leaving a station the Loco Pilot shall pay careful attention to the various signals displayed in order to distinguish between the signals applicable to train and those are not applicable.*

(a) *On noticing conflicting/wrong signal(s) such as for schedule stopping train Loco Pilot finds mainline (non platform) signal "OFF" or departure signal 'OFF' for wrong routing/diversion, the Loco Pilot of a train must immediately bring his train to a stop before the signal and bring into the notice of Station Master and concerned official.*

(b) *After Loco Pilot brought his train to a stand, he shall not proceed unless the conflicting/wrong signal(s) have been put back to 'ON' and a hand written memo is received from the Station Master authorizing him to proceed observing signal(s).*

21/11/25

(Dr. Monica Agnihotri)
Principal Chief Operations Manager

No.403-T/190/5/Optg/AS/21

उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली-110001

साधारण एवं सहायक नियमों का संशोधन पत्र

विषय- उत्तर रेलवे साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक 1983 का संशोधन पत्र संख्या 03, दिनांक 21.11.2025

वर्तमान सहायक नियम 9.01/1 को हटाएं और निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें।

स.नि. 9.01/1:

(क) प्रत्येक दिशा में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खण्ड में दो स्टेशनों के बीच एक स्वचालित स्टॉप सिग्नल को मध्य-खंड संशोधित अर्ध-स्वचालित स्टॉप (mid section modified semi automatic stop signal) सिग्नल बनाया जा सकता है।

(ख) मध्य-खंड संशोधित अर्ध-स्वचालित स्टॉप सिग्नल को दोनों छोर पर स्टेशन मास्टर द्वारा प्रदान किए गए फॉग स्विच/बटनों के एक सेट के संचालन द्वारा संचालित किया जाएगा और इस सिग्नल को सामान्य स्वचालित स्टॉप सिग्नल के रूप में या ए० मार्कर बुझाकर अर्ध-स्वचालित स्टॉप सिग्नल के रूप में संचालित किया जा सकता है। दोनों छोर पर स्थित स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों के पास यह बताने के लिए प्रासंगिक संकेतक उपलब्ध हैं कि सिग्नल स्वचालित या संशोधित अर्ध-स्वचालित अवस्था में है।

सहायक नियम 3.78/4 के रूप मे साधारण नियम 3.78 के नीचे जोड़ें :-

स.नि. 3.78/4: किसी स्टेशन पर आगमन या वहाँ से प्रस्थान करते समय, लोको पायलट प्रदर्शित विभिन्न सिग्नलों पर सावधानी से ध्यान देगा ताकि वह गाड़ी के लिए उपयुक्त और अनुपयुक्त सिग्नलों के बीच अंतर कर सके।

(क) परस्पर विरोधी/गलत सिग्नल जैसे कि निर्धारित ठहराव वाली गाड़ी के लिए लोको पायलट को मेन लाईन (प्लेटफॉर्म रहित) के लिये सिग्नल मिलता है तो गाड़ी का लोको पायलट तुरंत अपनी गाड़ी को सिग्नल से पहले रोकेगा और स्टेशन मास्टर तथा संबंधित अधिकारियों को सूचित करेगा ।

(ख) लोको पायलट द्वारा अपनी गाड़ी को खड़ा करने के बाद, वह तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि परस्पर विरोधी/गलत सिग्नल को वापस "ऑन" न कर दिया जाए और स्टेशन मास्टर द्वारा उसे सिग्नल/ सिग्नलो को देखते हुए प्रस्थान करने के लिए अधिकृत करने वाला एक हस्तलिखित मैमो प्राप्त न हो जाए।

(डॉ. मोनिका अग्निहोत्री)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

क्रमांक: 403- टी/190/5/OPTG/AS/21